राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली

कमांक:-एफ- /मु0/प्रशा./वि.के./2024/45/ दिनांक:- /6/16/2024

ई-बोली सूचना संख्या 02 / 2024-25

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये लाइसेंसी नियुक्त करने हेतु ई—बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.govt.in व http://eproc.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल (SPPP) पर देखें ।

दम होती में मंहिरात विवरण निम्नानमार है

इस पा	ला स सवान्धत विवरण निम्नानुसार हः-	
क. सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एंव समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	16.10.2024
2	बोली प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC) को	400 / - (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र)
	देय) payable at Jaipur	
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय	2,20,000/-(अक्षरे दो लाख बीस हजार
	payable at Jaipur)	मात्र)
4	बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur को देय	2,000 / – / – (अक्षरे दो हजार रूपये
		मात्र)
5	बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	16.10.2024 से 07.11.2024 तक समयः
		प्रातः 11:00 बजे तक।
6	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली)	07.11.2024 समय 15:30 बजे।
7	आरक्षित दर	2400 / - प्रतिबस प्रतिमाह

1. बोली की समस्त प्रकिया ऑनलाइन होगी।

2. बोली खोलने की तिथी को किसी कारणवश अवकाश रहता है तो ऐसी दशा में अगले दिन बोलियां खोली जाएगी। लेकिन समय पूर्व निर्धारित ही रहेगा (अर्थात समय में कोई परिवर्तन

3. बोली दाता निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई—बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

4. बोली प्रपत्र में डाउनलोड / आवेदन करते समय बोली शुल्क 400 / — रूपये एवं धरोहर राशि 2,20,000 / - रूपये (अक्षरे दो लाख बीस हजार)की डी डी संख्या दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।

5. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क / प्रोसेसिगं शुल्क / धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 07.11.2024 को अपरान्ह 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।

6. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश देरी होती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैद्य **डिजिट**ल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC Payable at Jaipur को डी डी द्वारा जमा करानी होगी। बोली प्रोसेसिंग शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 07.11.2024 को 15.00 बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।

9. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

er.

- 11. ऑनलाइन बोलियां निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।
- 12. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।

an a

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई—बोली

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लाइसेंसी नियुक्त करना चाहता है। निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहनों पर लाइसेंस शुल्क लाइसेंसी द्वारा चुकाया जायेगा / देय होगा चाहे लाइसेंसधारी एजेंट इन वाहनों पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है अथवा नहीं। लाइसेंसधारी को अपने स्वयं के स्तर पर विज्ञापन प्राप्त कर उपलब्ध स्थान पर विनायल शीट द्वारा विज्ञापन कराना होगा। लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों से विज्ञापन की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उपरोक्त कार्य हेतू बोली प्रस्तुत करने के लियें निम्न आवश्यक शर्तें है :--

1. निगम की बसों पर निम्नानुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतू अधिकतम् स्थान उपलब्ध रहेगा।

Sr no	Driver side	Space	for	Conducter Side	Space	for
		dvertisement	in		advertisement	in
		mm.			mm.	
1	Upper pannel FOH	1300x430		Upper pannel	1580x440	
				FOH		
2	Upper pannel ROH	1450x430		Upper pannel	1450x430	
				ROH		
3	Lower pannel	3032x640		Lower pannel	2400x650	
	Between WB			Between WB		
4	Lower pannel ROH	1950x640		Lower pannel	1950x640	
				ROH		
5	Back pannel	Dicky Door			740x570	
L						

नोट—उपरोक्त साइज अधिकतम् है । इससे कम साइज के भी विज्ञापन लगाये जा सकते है। कम साइज के विज्ञापन होने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।

2. बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को निम्नविवरणानुसार योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है:--

11 411 (7	तार् के नार्र तर ते विनेत्र तर ते विनेत्र त
क.स.	योग्यता का विवरण
1	बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के
	अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी
	होगी।
2	बोलीदाता को विज्ञापन के कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये
	एवं जहां पर उसके द्वारा विज्ञापन का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी
	आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यादेश, अनुबन्धों की प्रति एवम्
	कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है।
3	बोलीदाता / कम्पनी / संस्था को गत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि बोली
	प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
4	बोलीदाता फर्म / कम्पनी का गत तीन वर्षों में औसत 30 लाख का टर्न ओवर होना
	आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

बोलीदाता / कम्पनी / संस्था (बोलीदाता) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है *तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके* प्रस्ताव (बोली) को निरस्त / अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

3. बोली के साथ धरोहर राशि 2,20,000/ – रूपये (अक्षरे दो लाख बीस हजार रूपये मात्र) की डी डी / बैंकर्स चैंक के रूप में Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur के नाम से संलग्न करनी होगी। चैंक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोलियों पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज

dr.

देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि बोलियों पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।

निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर—भीतर सुरक्षा राशि के रूप में बसो की संख्या \mathbf{x} अनुमोदित दर राशि \mathbf{x} 6 माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की बैंक गारण्टी (राजस्थान राज्य में संचालित शिड्यूल बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक) जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के छः माह बाद तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी । यह राशि धरोहर राशि रूपये 2,20,000/-(अक्षरे दो लाख बीस हजार रूपये) के अतिरिक्त देय होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना किसी ब्याज के जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। बोलीदाता को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा । यदि उसके द्वारा सुरक्षा राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराई जाती है तथा अनुबन्ध नहीं किया जाता है तों जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु अनुज्ञाधारी को (लाइसेंसी) नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।

कार्यादेश में दर्शायी गई कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पिछले माह की अन्तिम तारीख को संचालित रही बसों की संख्या x दर प्रति वाहन प्रतिमाह x 3 +जीएसटी की निर्धारित दर के अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित तिमाही लाइसेंस फीस कहलायेगी, जिसका

अग्रिम भगतान निम्नानसार किया जातेगाः

	मुगतान ।नम्नानुसार ।कथा जावगाः–	
कं.	जमा का विवरण	जमा की दिनांक को फीस नही
सं.		करवाने पर शास्ति
1	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख	
2	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के	देय दिनांक सें 1000 रू प्रतिदिवस
	पश्चात 15 दिवस की देरी करने पर	
3	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के	देय दिनांक सें 1500 रू प्रतिदिवस
	पश्चात 16 सें 30 दिवस की देरी करने पर	
4	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के	देय दिनांक सें 2500 रू प्रतिदिवस
	पश्चात 31 सें 60 दिवस की देरी करने पर	
5	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के 60	
	दिवस पश्चात	व शास्ति राशि फर्म द्वारा जमा सुरक्षा
		राशि में से वसूली
	0 0	

किसी राज्य सरकार / संस्थान एवं स्थानीय निकाय द्वारा विज्ञापन हटवाने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की रियायत नही दी जावेगी।

निगम की मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शन पर विज्ञापन प्रारम्भ करने के एवज में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को निगम में अनुबन्ध अवधि में उक्त सचित की गई वाहनों की संख्या पर निर्धारित दर के अनुसार तिमाही लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक वहीं रहेगी। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत चकवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जावेगा तथा उसी अनुसार लाईसेंस फीस देय होगी। किसी माह की इन बसों की संख्या में 5 या इससे अधिक प्रतिशत में कमी या बढ़ोतरी होने की स्थिति में ही लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण / अगली तिमाही में समायोजन किया जायेगा तब तक प्रथम बार सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर तिमाही लाइसेंस फीस देय होगी। लाइसेंस फीस अग्रिम जरिये बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानसार है:-

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-302001
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774
Amount to be remitted	

6.

4.

5.

निर्धारित साइज से अधिक साइज के विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना अनुमत नहीं होगा ।

- 8. स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/प्रभार/माल एवं सेवाकर आदि जमा कराने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) का होगा। यह राशि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा 15 दिवस के भीतर-भीतर करना होगा।
- 9. अनुबन्ध की कुल अविध तीन वर्ष की होगी। तीन वर्ष की अविध समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद / न्यायिक प्रकरण एंव लाइसेंस शुल्क बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नियमानुसार अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।
- 10. लाइसेंस अविध में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एव इसकी कोई क्षतिपूर्ति अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को देय नहीं होगी। यदि अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के 6 माह पश्चात् छः माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी। (लाइसेंसधारी को एक वर्ष की लाइसेंस फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा) छः माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 11. लाइसेंस की अवधि समाप्ति पर अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को वाहनों पर लगाये गये समस्त विज्ञापन हटाने होगें तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेंट अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को पन्द्रह दिवस में अपने खर्चे से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात लाइसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते है व निगम द्वारा अपने स्तर पर समस्त विज्ञापन हटवाकर मूल रंग–रोगन करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय अनुज्ञाधारी(लाइसेंसी) की धरोहर व सुरक्षा राशि / बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबंध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक निगम द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।
- 12. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर—भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- 13. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान / व्यक्ति को न तो किराये पर देगा और न ही <u>सबलेट / हस्तान्तरण</u> आदि करेगा।
- 14. यदि राज्य / केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें जिसके लिए अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को किसी प्रकार की छूट लाइसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।
- 15. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार या निगम को अनुबन्ध अविध में अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो निगम, सूचना का प्रदर्शन की अविध में डीएवीपी की दरों से कम दरों पर बसों को उपलब्ध नहीं करवायेगा। जितनी अविध के लिए / जितनी बसों पर विज्ञापन / सूचना प्रदर्शित की जाती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की अनुबन्ध की अविध में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अनुबन्ध अविध में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगीं। इसमें मूल अविध तक दरें शर्त संख्या 06 के अनुसार रहेगी तथा मूल अविध अर्थात तीन वर्ष पश्चात् दरें शर्त संख्या 09 के अनुसार रहेगीं। ऐसी परिस्थितियों में इस कार्यवाही हेतु निगम द्वारा ऐसे विज्ञापन हटवाये जाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।
- 16. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) के विज्ञापन पैनल किसी भी कारण से (क्षतिग्रस्त हो जाने/चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/हड़ताल/युद्ध/दंगे/अकल्पनीय स्थिति आदि) होने वाली क्षति का दायित्व अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को बसों पर विनायल शीट पर निर्मित विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होगें।

W TI.

- 18. अनुज्ञाधारी(लाइसेंसी) किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय खायत्तशाषी संस्थान, निगम द्वारा या अन्यथा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) स्वयं जिम्मेदार होगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) की होगी एवं निगम स्तर सें भी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 19. बसों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी / वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
- 20. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा विज्ञापन आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेगें एंव प्रबन्धक (संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन पैनल से संबधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) अपने स्तर से प्राप्त करेगा एंव निगम मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।
- 21. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को आवश्यकता पड़ने पर बसों पर विज्ञापन / विनायल शीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक(संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।
- 22. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को सात दिवस का नोटिस देकर लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा।
- 23. यदि कोई वाहन दुर्घटना / यांत्रिक दोष के कारण संचालन सें 15 दिवस सें अधिक बाहर रहती है तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जावेगी।
- 24. निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की सुविधा हेतु अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये जावेगें, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होगें जिनका उपयोग अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इस हेतु अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
- 25. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) इस अनुबन्ध अविध में जब भी चाहे उन्हे उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेगा एंव हटा सकेगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगाया जा सकेगा।
- 26. विज्ञापन हेतु विनायल शीटों को लगाने एव उतारने में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षिति या टूट-फूट/नुकसान होगा तो अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त (15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
- 27. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) श्रम कानून एंव भविष्य निधी कानून की पूर्ण पालना करेगा। अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लघंन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
 - 28. वाहन जिस स्थिति में होंगे व जहां होगीं (As is where is basis) प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होंगें।
 - 29. युद्ध / दंगे / जन विद्रोह / बन्द / हडताल / तालाबन्दी / बाढ / नेशनल सिक्योरिटी अकल्पनीय आदि कारणों से परिवहन निगम की बसो के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो लाइसेंसी को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी (Force Maejure) क्लाज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।
- 30. अनुज्ञाधारी (लाइसेंसी) को समय—समय पर निगम द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 31. जिस बोलीदाता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप निगम कार्यालय द्वारा दिया जायेगा जो लगभग इन्ही शर्तों के आधार पर होगा । बोली प्रपत्र की शर्तें अनुबन्ध पत्र का हिस्सा होंगी।

बोली प्रस्ताव ई—बोली के माध्यम से प्रेषित करने होगें।

32

- 33. बोली प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट-छांट न हो प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें साथ ही प्रमाण भी पेश करें।
- 34. बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।
- 35. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
- 36. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
- 37. उक्त बोली प्रक्रिया द्विस्तरीय होगी अर्थात तकनीकी एंवम् वित्तीय बोली अलग—अलग खोली जावेगी। जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावेगें उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
- 38. बिड प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नुसार कमेठी गठित की जावेगी:—
 - क. वित्तीय सलाहकार,
 - ख. कार्यकारी निदेशक(विधि)
 - तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (यदि दोनों एक ही पद हो तों) अधिकृत होंगे।
- 39. किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई संस्था/बोली दाता फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी फर्म द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर फर्म की धरोहर राशि जब्त की जावेगी।
- 40 अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा।
 - (I) **Dispute Resolution**: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
 - (II) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.
 - 41. बोली की वैद्यता अवधि 90 दिवस होगी।

42 संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें। मैने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई—बोली

ई- तकनीकी बोली - प्रपत्र

बोली	प्रपत्र	संख्याः-एफ-	/मु०/वि०/24/
------	---------	-------------	--------------

दिनांक

		बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400 / (अक्षरे:–चार सौ रूपयें)
	डी.र्ड	ो. सं0दिनांक
1.	फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	
	-	
2.	टेलीफोन नम्बर/मो0 -	
	कार्यालय	
	निवास -	
3.	टेलेक्स नं0 -	
4.	धरोहर राशी :- रूपरे	j———— अक्षरं ————
4.1	एम डी आर आई एस एल, जयपुर को	देय फीस रूपयें अक्षरें
5.	ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक	
6.	फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं र	जिस्ट्रेशन नं
7. 8. 9.	बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.ए बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का व बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों	विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।
		पूरा नाम:– हैसियत:– मालिक / पार्टनर पूर्ण पता:–



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई—बोली

ई–वित्तीय बोली – प्रपत्र

बोली	प्रपत्र संख्या:-एफ /मु0/वि0/24/	दिनांक
	डी.र्ड	बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपयें 400/– (अक्षरे:– चार सौ रूपंयें) ो. सं0—————दिनांक————
1.	फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	
2.	टेलीफोन नम्बर/मो0	
	कार्यालय—	
	निवास	
3.	टेलेक्स नं0	
5.	धरोहर राशी :- र	ज्पयें—————अक्षरें————
5.	ड्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक	
6.	देय लाईसेन्स राशि प्रतिमाह रूपये	
		(अक्षरे)——————
7.	फर्म / कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं र	रजिस्ट्रेशन नं
8. 9.	बैक का नाम,खाता संख्या,ब्रांच,आई.एफ.ए बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का	र्स. संख्या ——————— विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।

पूरा नामः— हैसियतः— मालिक/पार्टनर पूर्ण पताः—



घोषणा-पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1	मैं / हम डी.डी. / बैंकर्स चैक नम्बर	दिनांक	राशि	शे रूप
	अक्षरें	——जो कि	वित्तीय र	लाहका
	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के नाम देय है संव	नग्न कर रहे है	/कर दिया	है।
2	मैं / हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया	/सुन लिया है	तथा इन स	ाभी शत
	की पालना का वचन देता हूँ / देते है। हमारा प्रस्ताव निगम	द्धारा स्वीका	र कर लिय	ा जाता
	है तो मैं / हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनु देगें ।	बन्ध—पत्र पर ह	स्ताक्षर कर	दूॅगा /
3	मैं / हम घोषणा करता / करते हैं / हूं कि मैने / हमने जो प्रस्ताव संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य दिये गये है।	v		
4	मैं / हम वचन देता / देते है कि मेरे / हमारे द्धारा प्रस्तुत यह प्रस्त रहेगा।	गाव चार माह की	ो अवधि तक	लागू
	O di c			
	दिनांक:			

हस्ताक्षर-बोलीदाता मय पद / हैसियत व मोहर सहित

de

ANNEXURE- A COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall -

- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
- f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
- g) disclose conflict of interest, if any and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to:

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

-02

ANNEXURE- B DECLARATION BY THE BIDDER REGARD	ING QUALIFICATIONS DECLARATION
BY THE BIDDER	
In relation to my/our Bid submitted to	····· for
Procurement of	We hereby declare under Section 7 of Rajasthan
01. I/we possess the necessary professional, technicompetence required by the Bidding Document issues.	ical, financial and managerial resources and
02. I/we have fulfilled my/our obligation to pay su State Government or any local authority as specifie	ich of the taxes payable to the Union and the ed in the Bidding Documents;
03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrup administered by a court or a judicial officer, not have not the subject of legal proceedings for any of the form	ve my/our business activities suspended and
04. I/we do not have, and our directors and officers offence related to my/our professional conduct or the misrepresentations as to my/our qualifications to en of three years preceding the commencement of this otherwise disqualified pursuant to debarment process.	tire to a procurement contract within a period procurement process, or not have been
05. I/we do not have conflict of interest as specified which materially affects fair competition;	
Date:	Signature of Bidder with seal
Place :	Name:
	Designation:
	Address:

do.

ANNEXURE- C GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

As per bid condition No. 39.

01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. Form of Appeal

- a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. Fee of filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

a Si

- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) here all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the perties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of tenderer with seal

M.

FORM No.1 [See rule 83] MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 Appeal No
Before the
01. Particulars of appellant:
(i) Name of Appellant :
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address :
02. Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)
03. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the act by which the appellant is aggrieved: 04. If the Appellant proposes to be represented by a
representatives, the name and postal address of the representative: 05. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
06. Ground of appeal:
affidavit) 07. Prayer:
Place: Appellant's Signature

W Z

Date :

ANNEXURE- D ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods):

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of tenderer with seal

May.

निगम की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली

यह अनुबंध आज दिनांक	को राजस्थान	राज्य पथ	परिवहन निगम,	परिवहन मार्ग	, जयपुर
जिसको आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधि	वेत किया जावेगा	तथा			
कम्पनी अधिनियम 195	56 के	अन्तर्गत	पंजीकृत	है	(जिसमे
मालिक / साझेदार / उत्तराधिकारी / प्रशास	क आदि भी सम्मि	मलित है।)	जिसको आगे	द्वितीय पक्ष क	नाम स
संबोधित किया जावेगा के बीच किया ज	नाता है। अनुबंध	तीन वर्ष	की अवधि के	लिए किया ज	गता है।
अनबंध की शर्ते निम्न प्रकार है:					
1. निगम की लगभग 100 मिडी बसों	के बैक पैनल,	चालक –	परिचालक साइ	ड पेनल पर	विज्ञापन
	^ \			2	a z aial l

प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली लाइसेंस प्रणाली के आधार पर द्वितीय पक्ष को अनुजाधारी (लाइसेंसी) नियुक्त करने का निर्णय लिया है। द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि वह प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की निर्धारित तिमाही लाइसेंस फीस निगम कोष में जमा करायेगा चाहे द्वितीय पक्ष इन बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है या नहीं। द्वितीय पक्ष यह भी स्वीकार करता है कि प्रथम पक्ष की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु अपने स्तर से विज्ञापन प्राप्त करेगा तथा इन बसों पर विनायल शीट द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। द्वितीय पक्ष अपने ग्राहकों से विज्ञापन की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कोष में धरोहर राशि रू. 2,20,000 / - रूपये (अक्षरे दो लाख बीस हजार रूपये मात्र) डी.डी. न0 दिनांकएवं लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान एवं अनुबंध पत्र की शर्तों की पूर्ण पालना हेतु सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारन्टी नं0 ------दिनांकतक है, जमा करा दी गई है। राशि रूपये/—(अक्षरे मात्र) की बैंक गारन्टी दिनांक तक निगम कोष में जमा रहेगी। उक्त दोनों राशियाँ अनुबन्ध समाप्ति तक बिना किसी ब्याज के प्रथम पक्ष के पास जमा रहेगी। इस राशि पर प्रथम पक्ष को हुई हानि / अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने की दशा में धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि की बैंक गारन्टी प्रथम पक्ष को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि लाईसेंस अवधि में वृद्धि की जाती है तो बैक गारन्टी की वैधता अवधि तदनसार ही द्वितीय पक्ष को वृद्धि करवा कर देनी होगी।

यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहनों पर निम्नानुसार स्थान उपलब्ध

कराया Sr no	Driver side	Space dvertisement mm.	for in	Conducter Side	Space advertisement mm.	for in
1	Upper pannel FOH	1300x430		Upper pannel FOH	1580x440	
2	Upper pannel ROH	1450x430		Upper pannel ROH	1450x430	
3	Lower pannel Between WB	3032x640		Lower pannel Between WB	2400x650	
4	Lower pannel ROH	1950x640		Lower pannel ROH	1950x640	
5	Back pannel	740x570				

नोट-उपरोक्त साइज अधिकतम् है। इससे कम साइज के मी विज्ञापन लगाये जा सकते है। कम साइज के विज्ञापन होने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।

- यह कि निर्धारित साइज से अधिक के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम द्वारा द्वितीय पक्ष के विज्ञापन हटा दिये जावेगें अथवा 1000 / – रूपये प्रतिबस प्रतिमाह शास्ति आरोपित की जावेगी।
- यह कि लाइसेंस फीस दिनांक से देय होगी।
- यह कि कार्यादेश में दर्शायी गई कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पिछले माह की अन्तिम तारीख को संचालित रही बसों की संख्या x दर प्रति वाहन प्रतिमाह x 3 + जीएसटी की निर्धारित दर के

अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित तिमाही लाइसेंस फीस कहलायेगी, जिसका अग्रिम भुगतान निम्नानुसार किया जावेगा:–

	1131111 14741 011411.—					
कं.	जमा का विवरण	जमा की दिनांक को फीस नही करवाने पर				
स.		शास्ति				
1	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख					
2	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात	देय दिनांक सें 1000 रू प्रतिदिवस				
	15 दिवस की देरी करने पर					
3	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात	देय दिनांक सें 1500 रू प्रतिदिवस				
	16 सें 30 दिवस की देरी करने पर					
4	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के पश्चात	देय दिनांक सें 2500 रू प्रतिदिवस				
	31 सें 60 दिवस की देरी करने पर					
5	प्रति तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख के 60	फर्म को ब्लेक लिस्ट कर सम्पूर्ण फीस व				
	दिवस पश्चात	शास्ति राशि फर्म द्वारा जमा सुरक्षा राशि में				
		से वसूली				

किसी राज्य सरकार/संस्थान एवं स्थानीय निकाय द्वारा विज्ञापन हटवाने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जावेगी।

- 7. यह कि प्रथम पक्ष की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल, चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन प्रदर्शन प्रारम्भ करने की एवज में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध अविध में उक्त सूचित की गई वाहनों की संख्या पर निर्धारित दर के अनुसार तिमाही लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस निम्नानुसार जमा करानी होगी।
 - 1. से तक/ रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त
 - 2. से तक/-रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त
 - 3. से तक/ रूपये प्रतिबस प्रतिमाह एंव जी एस टी अतिरिक्त

किसी माह इन बसों की संख्या में 5 या इससे अधिक प्रतिशत में कमी या बढोतरी होने की स्थिति में ही लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण/ समायोजन अगली तिमाही में किया जायेगा तब तक प्रथम बार सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर तिमाही लाइसेंस फीस देय होगी। लाइसेंस फीस अग्रिम जिरये बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर टी जी एस द्वारा प्रथम पक्ष के कोष में जमा करानी होगी। प्रथम पक्ष का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार है:—

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-302001
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774

- 8. यह कि स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/प्रभार/माल एवं सेवाकर आदि जमा कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में प्रथम पक्ष पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। यह राशि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण द्वितीय पक्ष द्वारा 15 दिवस के भीतर—भीतर करना होगा।
- 9. यह कि अनुबन्ध की कुल अविध तीन वर्ष की होगी। तीन वर्ष की अविध समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद / न्यायिक प्रकरण एंव लाइसेंस शुल्क बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमित से देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए नियमानुसार अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।
- 10. यह कि लाइसेंस अविध में प्रथम पक्ष के पास बिना कारण बताये किसी भी समय द्वितीय पक्ष को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इसकी कोई क्षितिपूर्ति द्वितीय पक्ष को देय नहीं होगी। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के 6 माह पश्चात् छः माह पूर्व सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी। अर्थात (लाइसेंसधारी को एक वर्ष की लाइसेंस फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा) छः माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 11. यह कि लाइसेंस की अवधि समाप्ति पर द्वितीय पक्ष को वाहनों पर लगाये गये समस्त विज्ञापन हटाने होगें तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेंट द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिवस में अपने खर्चे से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात लाइसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते हैं तथा वाहनों को पूर्णतया साफ व पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जाता है व प्रथम पक्ष द्वारा अपने

Wy.

स्तर पर यह कार्य करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय द्वितीय पक्ष की धरोहर व सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबंध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक प्रथम पक्ष द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।

12. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से प्रथम पक्ष द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर—भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान/व्यक्ति को न तो किराये पर देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण आदि करेगा।

- 14. यह कि यदि राज्य / केन्द्र सरकार या प्रथम पक्ष को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें जिसके लिए द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की छूट लाइसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।
- 15. यह कि राज्य सरकार / केन्द्र सरकार या प्रथम पक्ष को अनुबन्ध अविध में अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो प्रथम पक्ष, सूचना के प्रदर्शन की अविध में डीएवीपी की दरों से कम दरों पर बसों को उपलब्ध नहीं करवायेगा। जितनी अविध के लिए / जितनी बसों पर विज्ञापन / सूचना प्रदर्शित की जाती है तो द्वितीय पक्ष की अनुबन्ध की अविध में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अनुबन्ध अविध में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगीं। इसमें मूल अविध तक दरें शर्त संख्या 07 के अनुसार रहेगी तथा मूल अविध अर्थात तीन वर्ष पश्चात् दरें शर्त संख्या 09 के अनुसार रहेगीं। ऐसी परिस्थितियों में इस कार्यवाही हेतु प्रथम पक्ष द्वारा ऐसे विज्ञापन हटवाये जाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।
- 16. यह कि द्वितीय पक्ष के विज्ञापन किसी भी कारण से (क्षितिग्रस्त हो जाने/चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/ हड़ताल/युद्ध/दंगे/अकल्पनीय स्थिति आदि) होने वाली क्षिति का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार की क्षितिपूर्ति नहीं की जावेगी।
- 17. यह कि द्वितीय पक्ष को बसों पर विनायल शीट पर निर्मित विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होगें।
- 18. यह कि द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का अश्लील / केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थान, प्रथम पक्ष द्वारा या अन्यथा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी एवं प्रथम पक्ष स्तर से भी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 19. यह कि बसों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी / वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
- 20. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा विज्ञापन आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेगें एंव प्रबन्धक (संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन से संबंधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र / फोटो आदि द्वितीय पक्ष अपने स्तर से प्राप्त करेगा एंव प्रथम पक्ष मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।
- 21. यह कि द्वितीय पक्ष को आवश्यकता पड़ने पर बसों पर विज्ञापन / विनायल शीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक (संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।
- 22. यह कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंधन करने पर द्वितीय पक्ष को सात दिवस का नोटिस देकर लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- 23. यह कि यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन सें 15 दिवस सें अधिक बाहर रहती है तो द्वितीय पक्ष को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जावेगी।
- 24. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्ध की अविध में प्रथम पक्ष की लगभग 100 मिडी बसों के बैक पैनल,चालक परिचालक साइड पेनल पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु द्वितीय पक्ष को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये जावेगें, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होगें जिनका उपयोग द्वितीय पक्ष केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इस हेतु द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

25. यह कि द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध अविध में जब भी चाहे उन्हें उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेंगा एंव हटा सकेंगा। द्वितीय पक्ष वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगाया जा सकेंगा।

26. यह कि विज्ञापन हेतु विनायल शीटों को लगाने एव उतारने में प्रथम पक्ष की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट—फूट/नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा आंकी गई निर्धारित

चार्

राशि की तुरन्त (15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि / सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।

- 27. यह कि द्वितीय पक्ष श्रम कानून एवं भविष्य निधी कानून की पूर्ण पालना करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 28. यह कि वाहन जिस स्थिति में होंगे व जहां होगीं (As is where is basis) प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होंगें।
- 29. यह कि युद्ध / दंगे / जन विद्रोह / बन्द / हडताल / तालाबन्दी / बाढ / नेशनल सिक्योरिटी अकल्पनीय आदि कारणों से परिवहन प्रथम पक्ष की बसो के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो लाइसेंसी को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा जारी (Force Maejure) क्लाज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।
- 30. यह कि द्वितीय पक्ष को समय—समय पर प्रथम पक्ष द्वारा जारी दिशा—निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 31. यह कि अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहेगा।
 - Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
 - (II) Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

32. निविदा की शर्ते भी इस अनुबंध का भाग होगी।

अतः	हम	आज	दिनांक		को	इस	करार,	/ अनुबंध	पत्र	पर	हस्ताक्षर	करते	है।
-----	----	----	--------	--	----	----	-------	----------	------	----	-----------	------	-----

स्थान:-जयपुर

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह 1

गवाह 1